कार्यालय प्रति



# कार्यालय–विज्ञापन विभाग, नगर निगम, वाराणसी।

पत्रांक :–330/विज्ञापन/2025–26 दिनांक :– 16/07/2025

## सार्वजनिक सूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) की धारा–305, 306 एवं 452 में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियन्त्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम, वाराणसी द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–541(48) के अधीन प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके **"वाराणसी नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि–2025"** को अधिनियम की धारा–542 के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी के मा0 सदन की बैठक दिनांक 09.06.2025 में प्रस्ताव संख्या–289 को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। प्रस्तावित उपविधि से नगर निगम वाराणसी सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा विज्ञापन फर्मो जिन पर उक्त उपविधि का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, उनसे उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–543 के अन्तर्गत सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर उपविधि पर आपत्तियां और सुझाव देने हेतु आमन्त्रित किया जाता है। उक्त उपविधि का नगर निगम मुख्यालय के सूचना पट्ट पर एवं विज्ञापन विभाग के कार्यालय में निःशुल्क निरीक्षण/अवलोकन किया जा सकता है साथ ही फार्म कीपर के कार्यालय से 50/– रूपये भुगतान कर उपविधि की प्रति प्राप्त किया जा सकता है। उक्त उपविधि वाराणसी नगर निगम की वेबसाइट–nnvns.org.in पर जनसामान्य के लिए उपलब्ध है जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। निर्धारित अवधि में तथ्यों सहित लिखित रूप में आपत्ति एवं सुझाव नगर निगम, वाराणसी के विज्ञापन विभाग में किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त करा सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। लिखित रूप मे प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव का निस्तारण गठित समिति द्वारा किये जाने के पश्चात उपविधि में आवश्यक संशोधन करते हुये उक्त उपविधि को नगर निगम वाराणसी के मा0 सदन के समक्ष अन्तिम रूप से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

16/7/25

नगर आयुक्त,
नगर निगम, वाराणसी।

| मद संख्या–06, दिनांक–09.06.2025 | संकल्प संख्या– 289 |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959 की धारा–305, 306 एवं 452 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियन्त्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा–541(48) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके **"वाराणसी नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि–2025"** का पाण्डुलेख अधिनियम की धारा–542 के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी के मा0 सदन के समक्ष उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–543 के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों जिन पर उक्त उपविधि का प्रभाव पडने की सम्भावना है से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रस्तुत है। | **श्री सुरेश कुमार चौरसिया**– अध्यक्ष महोदय यह उपविधि शासन स्तर से बना है, या नगर निगम से बना है, स्पष्ट करा दें।<br>**नगर आयुक्त**–अध्यक्ष महोदय यह उपविधि वाराणसी नगर निगम द्वारा तैयार की गयी है, उपविधि का अध्ययन करने हेतु मा0 महापौर जी द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, मा0 समिति द्वारा उप विधि का विधिवत अवलोकन करने के पश्चात त्रुटियों को ठीक करते हुए मा0 सदन में रखने हेतु अपनी संस्तुति प्रदान की गयी है, मा0 समिति के संस्तुति के क्रम में मा0 सदन की स्वीकृति प्राप्त की जानी है। इस उपविधि के लागू होने से वाराणसी नगर निगम विज्ञापन मद में राजस्व की प्राप्ति में वृद्धि होगी, क्योंकि नगर निगम स्तर से विज्ञापन मद में अपेक्षित वसूली नहीं हो पा रही है।<br>**वाराणसी नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि–2025** में बिन्दु संख्या–1 से लेकर 29 तक बिन्दुवार उल्लेख किया गया है, इसमें जो भी कमियॉ है उसे दूर करने के पश्चात समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित कराकर आपत्ति प्राप्त की जायेगी, प्राप्त आपत्ति के निस्तारण करने के बाद ही इसे लागू किया जायेगा। इस उपविधि के लागू होने से विज्ञापन मद में तीन गुना आय में वृद्धि होगी, लगभग 12 से 15 करोड़ रूपये तक आय बढ़ सकती है।<br>इस उपविधि में मा0 सदन से अनुरोध है, कि **बिन्दु संख्या–29 अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन** के बाद एक नया बिन्दु कमांक संख्या–30 रखते हुए निम्न बिन्दुओं को समाहित करने की अनुमति प्रदान की जाय।<br>(मा0 सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गयी।)<br>1– जहॉ पर सरकारी विज्ञापन हो उसके अगल–बगल 50 मीटर के दायरे में कोई भी प्राइवेट विज्ञापन अनुमन्य नहीं होगा।<br>2– यदि एजेन्सी का विज्ञपान शुल्क बकाया हो तो नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है।<br>3– यदि प्राईवेट विज्ञापन एजेन्सी का विज्ञापन शुल्क का बकाया होगा तो एजेन्सी किसी भी प्रकार के निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकता।<br>4– निविदा में प्रतिभाग करने वाले एजेन्सी का कोई भी भागीदार/निदेशक/प्रोपराईटर की दूसरी किसी भी एजेन्सी में जिसका विज्ञापन शुल्क बकाया हो उसका कोई भी |

महापौर
नगर निगम वाराणसी

| | |
|---|---|
| | भागीदार/निदेशक/प्रोप्राइटर निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकता है एजेन्सी के भागीदार/निदेशक/प्रोप्राइटर को इस आशय का स्व घोषणा–पत्र देना होगा कि मेरी किसी भी एजेन्सी का विज्ञापन शुल्क बकाया नहीं है एवं नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि कर ली गयी हो।<br>5. इस उपविधि के अन्तर्गत कोई भी देयता यदि किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी इत्यादि की बनती है तो उसे नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 520 के अनुसार कार्यवाही करायी जा सकेगी।<br>**उपसभापति**– अध्यक्ष महोदय नगर आयुक्त द्वारा इस उपविधि में जो सुझाव रखे गये है, वह नगर निगम हित में है, उसे ऐड कर लिया जाय। सदन सहमत है।<br>**अध्यक्ष**– प्रस्ताव संशोधन के साथ सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है, नगर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि इस उपविधि को जनमानस के अवलोकनार्थ 02 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाय तथा जनमानस के द्वारा प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद पुनः मा0 सदन में प्रस्तुत किया जाय। |

महापौर
नगर निगम वाराणसी

# नगर निगम, वाराणसी।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959 की धारा–305, 306 एवं 452 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियन्त्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा–541(48) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके **"वाराणसी नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि–2025"** का पाण्डुलेख अधिनियम की धारा–542 के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी के मा0 सदन के समक्ष उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–543 के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों जिन पर उक्त उपविधि का प्रभाव पडने की सम्भावना है से अपात्ति एवं सुक्षाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

**वाराणसी नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि 2025**

**1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ**

(1) यह उपविधि नगर निगम, वाराणसी (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि 2025'' कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम, वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(4) उक्त उपविधि के गजट में प्रकाशित होने के पश्चात विज्ञापन हेतु समस्त अनुज्ञाये उपविधि में दिये गये नियमों के अन्तर्गत प्रदान किये जायेगें। गजट में उप विधि के प्रकाशन उपरान्त ई–निविदा के माध्यम से जिन अनुज्ञायों की संविदा की गयी होगी उनकी अवधि समाप्त होने के पश्चात इस उपविधि के नियम लागू होगें।

**2. परिभाषायें**

(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

(एक) 'अधिनियम' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है।

(दो) ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति मे उसका अभिकर्ता प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(तीन) ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हों, और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भों, स्कीन बाड़ या विज्ञापन पटट् से जुडी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

(चार) '' गुब्बारा'' का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो।

(पांच) ''पताका'' (बैनर) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य आधार से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते है।

नगर निगम वाराणसी

(छः) ''पताका विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी पताका का उपयोग कर रहा हो।

(सात) ''समिति'' का तात्पर्य नियम–3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से है।

(आठ) तकनीकी समिति का तात्पर्य नियम–3 के अधीन गठित तकनीकी समिति से है।

(नौ) ''निगम'' का तात्पर्य वाराणसी नगर निगम से है।

(दस) ''विद्युतीय प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज–सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग है, प्रयुक्त किये जाते है।

(ग्यारह) ''गैन्ट्री विज्ञापन'' का तात्पर्य सड़क के दोनो ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है।

(बारह) ''भू–विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भें, स्कीन, बाडा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिये दृश्य हो।

(तेरह) ''प्रदीप्त प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और किसी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो।

(चौदह) ''शामियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्व हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो।

(पन्द्रह) ''प्रक्षेपित प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो।

(सोलह) ''मार्ग अधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है।

(सत्रह) ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हों या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है।

(अठ्ठारह) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है।

(उन्नीस) ''बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टागें गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है।

(बीस) ''पुष्प पात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन'' का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे फ्लावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट्ट लगाने के पश्चात् लगाये जाने से है।

(इक्कीस) ''जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है।

(बाइस) ''ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक लाईलैण्ड पर विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ

महापौर

अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए।

(तेइस) "प्रतीक संरचना" का तात्पर्य किसी ऐस संरचना से है जिसमें कोई प्रतीक अवलम्बित हो।

(चौबीस) "अस्थायी विज्ञापन" का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिये वांछित किसी विज्ञापन प्रतीक, झण्डा या वस्त्र, कैनवेस, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है।

(पच्चीस) "अनुज्ञा शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा–541 की उपधारा–48 के निर्दिष्ट विज्ञापन शुल्क से है।

(छब्बीस) 'ट्री गार्ड विज्ञापन" का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है।

(सत्ताइस) "बरांडा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्व, उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञापन से है।

(अठ्ाइस) "दीवार प्रतीक" का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की वाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्व हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है।

**3. स्थल चयन एवं अन्य नीतिगत विषयों के सम्बन्ध मे तकनीकी समिति का गठन**

(1) नगर आयुक्त वाराणसी की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों स्थलों की पहचान करने के लिये और उसके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए वाराणसी नगर निगम में एक तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(एक) नगर आयुक्त, वाराणसी अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अध्यक्ष
अपर नगर आयुक्त

(दो) मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, वाराणसी – सदस्य

(तीन) सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण – सदस्य

(चार) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सदस्य
क्षजहॉ स्थल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.ए.आई.) से सम्बन्धित होद्व

(पांच) अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि सदस्य

(छः) भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि सदस्य

(सात) यातायात पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा अधिकृत यातायात का प्रभारी सदस्य
(यातायात पुलिस विभाग)

(आठ) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि सदस्य

(नौं) नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत विज्ञापन क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ

सदस्य

(दस) सहायक क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य

(ग्यारह) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी नगर निगम, वाराणसी सदस्य

(बारह) नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत जोनल अधिकारी सदस्य

(तेरह) टॉउन प्लानर वाराणसी विकास प्राधिकरण का सदस्य

(चौदह) निगम का यातायात अभियंता या अधिशासी अभियंता से अनिम्न रैंक का अधिकारी (नगर आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट) सदस्य

टिप्पणी : नगर आयुक्त, महापौर के परामर्श से किसी एक या एक से अधिक सदस्य को, जैसा वह उचित समझे सहयोजित कर सकता है।

नगर आयुक्त महापौर के पर्रामश से नाम निर्दिष्ट रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन एवं पार्षदो में से तीन सदस्यीय सलाकार मंच गठित कर सकता है। जो तकनिकी समिति को सुझाव साझा करेगी।

(3) तकनीकी समिति के कृत्य :–

(क) तकनीकी समिति नियम–27 में नगर निगम सीमा क्षेत्र के विभिन्न श्रेणीयों में विभक्त किये गये क्षेत्रों को आवश्कतानुसार नगर निगम हित में जोनवार विभाजित कर सकता है परन्तु विज्ञापन जोन की कुल संख्या नगर निगम में जोन की संख्या से अधिक नहीं होना चाहिये।

(ख) नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले विभिन्न सड़को को उनकी विज्ञापन राजस्व क्षमता के आधार पर जोनवार विभक्त किया जा सकता है।

(ग) समिति द्वारा अनुमोदित स्थलो पर ही विज्ञापनो और विज्ञापन पटो की अनुज्ञा दी जायेयी, समिति द्वारा अनुमोदित स्थल तब तक यथावत रहेंगे जब तक समिति द्वारा पुनः स्थलो मे परिवर्तन न किया जायें।

(घ) नगर आयुक्त विज्ञापन स्थलों के अनुमोदित महासूची मे सम्मिलित कुल विज्ञापन क्षेत्रों के अवस्थानों में वृद्धि या कमी सहित परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत होगा।

(ड़) समिति मेला, उत्सव, संगीत समारोह, कार्यशाला, जादू शो, नाटक आदि जैसे आयोजनों के दौरान अस्थायी चिन्हों/विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजक द्वारा किये गए किसी भी आवेदन के लिए अनुज्ञा सम्बधी नीतिगत निर्णय अनुसूची–2 में उल्लिखित दरो को दृष्टिगत रखते हुये ले सकती है।

(च़) समिति में नियम 27 में श्रेणीयों के किये गये वर्गीकरण को नगर निगम के आय के दृष्टिगत एक दूसरे वर्गो में स्थान्तरित किये जाने का अधिकार निहित होगा।

(4) नगर निगम अधिनियम–1959 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 541 के अन्तर्गत नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा विज्ञापन अनुज्ञा सम्बन्धित नियमावली जो भविष्य में प्रभावी की जायेगी उसमे जिन नियमो एवं शर्तो का उल्लेख किया जायेगा, उन्हे पूर्ण रूप से उक्त उपविधि में सम्मिलित माना जायेगा।

(5) नियम–3 के उपनियम–4 में उल्लिखित नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की प्रभावी नियमावली में जिन

महापौर
नगर निगम वाराणसी

नियम एवं शर्तो का उल्लेख किया जायेगा उन नियम एवं शर्तो तथा उक्त उपविधि द्वारा जो नियम एव शर्ते निर्धारित की जायेगी उनमे यदि कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण उक्त तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है।

4. प्रतिषेध

(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भें, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर जो किसी सार्वजनिक स्थान अथवा सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो, ऐसे स्थल पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा, न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने या लटकाने देगा।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

5. विज्ञापनकर्ताओं का पंजीकरण एवं नवीनीकरण

(1) विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी को "ए" श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 60,000.00 (साठ हजार) पंजीकरण शुल्क एवं रू0 2,00,000.00 (दो लाख) धरोहर धनराशि, "बी" श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 40,000.00 (चालीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं रू0 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) धरोहर धनराशि, एवं "सी" श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 25000.00 (पच्चीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं रू0 1,00,000.00 (एक लाख) धरोहर धनराशि जमा करना होगा। उक्त पंजीकरण शुल्क मात्र 01 वर्ष के लिये नियत है जो किसी भी दशा में वापस अथवा समायोजित नहीं किया जायेगा।

(2) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जायेगा, जिसे पांच सौ रूपये भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(3) पंजीकरण का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से सात दिन के अन्दर कराना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण शुल्क "ए" श्रेणी हेतु रू0 40,000.00 (चालीस हजार) "बी" श्रेणी हेतु रू0 30,000.00 (तीस हजार) एवं "सी" श्रेणी हेतु रू0 20,000.00 (बीस हजार) होगा। "ए" श्रेणी में पंजीकृत विज्ञापनकर्ता/एजेन्सी किसी भी श्रेणी के नीलामी/निविदा प्रकिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगी। बी श्रेणी में पंजीकृत विज्ञापनकर्ता/ऐजन्सी बी श्रेणी के साथ–साथ सी श्रेणी कें लिये

महापौर
नगर निगम वाराणसी

अर्ह होगी। सी श्रेणी में पंजीकृत विज्ञापनकर्ता/ऐजन्सी मात्र सी श्रेणी के लिये अर्ह होगी।

6. अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रकिया

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जाएगा, जिसे रू0 500.00 का भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा। आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

(क) नगर निगम वाराणसी में यदि विज्ञापन अनुज्ञा हेतु ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु यदि कोई प्रक्रिया लागू की जाती है तो आवेदन हेतु समस्त वांछित अभिलेख ऑनलाईन उपलब्ध कराने होगें।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना, ऐसी भूमि के स्थल नक्शा सहित निहित होगी जहॉ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना या लटकाया जाना वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी :–

(क) प्रत्येक भू–विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊॅचाई, अवस्थिति, ढांचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को नियम–7 मे गठित आवंटन समिति द्वारा तय किया जायेगा और उसी के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगणना आवेदन–पत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत–विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू–प्रतीकों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक–स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) कोई अन्य विशिष्टियां, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हौ।

(घ) गुब्बारा विज्ञापन के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना विज्ञापनकर्ता को उपलब्ध करानी होगी।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगें :–

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण।

(ख) नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सम्बन्धित भवन की सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट।

(ग) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध पत्र,

आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना–संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक, रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया ''वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के संरचना अभिकल्प, धारा–1 भार बल और प्रभाव'' के भाग–4 के अनुसार होगा।

(घ) विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र,

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पटट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति

महापौर
नगर निगम वाराणसी

संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप से यह वचन देना होगा कि किसी व्यक्तिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहें तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड / फ्लावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्डो / फ्लावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा शुल्क भुगतान करने का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाय।

(9) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करना होगी।

**6—क अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें**

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तो पर प्रदान की जायेगी, यह कि :–

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो, परन्तु यह शर्त होगी कि अनुज्ञा शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क, इस उपविधि के अनुसार नगर निधि में संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुद्धृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाए और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नही होगी। दो सन्निकट विज्ञापनों पट्टों के मध्य की दूरी 10 मीटर से कम नही होगी। यूनीपोल लगाये जाने की दशा में दो यूनीपोल के मध्य की दूरी 15 मीटर से कम नही होगी।

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशा में रखा एवं अनुरक्षित किया जाएगा।

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा बिना नगर आयुक्त की अनुमति के अन्तरणीय नही होगी।

(ड.) विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसके विवरण में नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नही किया जाएगा। विज्ञापन पट्टों पर विज्ञापन की स्वीकृत अवधि लिखित रूप में अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी।

(च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देगें या उसे मिटा देंगे।

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही

महापौर
नगर निगम

प्रतिष्ठापित किये जायेंगें, संप्रदर्शित किये जायेगें या परिनिर्मित किये जायेंगे।

(ज) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोडी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साईकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिये उपलब्ध रहेगी।

(झ) भवन, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन (Ventilation) किसी भी रूप में बाधित नही होगें।

(ञ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा पत्र को निलम्बित कर दें, जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापन को हटा देगा।

(ट) विज्ञापनकर्ता को इस उपविधि में उल्लिखित सभी शर्तो और नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

(ठ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नही होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्व होगा।

(ड) महानगर क्षेत्र मे स्थित मंदिर/मस्जिद के निकट ऐसे विज्ञापन जो किसी धार्मिक भावना ठेस पहुॅचाता हो, ऐसे विज्ञापन की अनुज्ञा नही दी जायेगी।

(ढ) विज्ञापन पट्टों का अनुरक्षण तथा निरीक्षण उनके अवलम्ब नियम–24 के अनुसार होगें।

(ण) समस्त विज्ञापन नियम–16 ''समस्त विज्ञापनों के लिये सामान्य अपेक्षाए'' में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होगें।

(त) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड–पौधों में गाड़ा, बांधा नही जायेगा।

(थ) जिन विज्ञापन पटो को नगर आयुक्त द्वारा अनुज्ञा प्रदान की जायेगी उससे यदि कोई जनहानि अथवा दुर्घटना होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायत्वि सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता अथवा जिसे नगर निगम द्वारा विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की गयी है, का होगा।

(द) विज्ञापनकर्ता अपने द्वारा विज्ञापित प्रत्येक अवस्थान का विवरण, जियो–टैग डेटा और चित्रों के साथ नगर निगम की बेबसाइट/ई–नगर सेवा पोर्टल पर या नगर आयुक्त द्वारा यथाविहित किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा।

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारण से गिर जाता है।

(ख) यदि विज्ञापन पट में कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है अथवा नगर आयुक्त की अनुमति के बिना किया जाता है।

(ग) यदि विज्ञापन पट या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा जिन स्थलो पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान की गयी है, उन स्थलो मे कोई परिवर्तन किया जाता है।

(घ) यदि उस भवन या सरंचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या उसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है, या

(ड.) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरूद्व हो, भंजित या नष्ट हो जाती

नगर निगम वाराणसी

है।

6–ख प्रीमियम

(1) नगर आयुक्त प्रत्येक स्थल के लिए स्थल के महत्व के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि नियत करेगा, जिसमें ई–निविदा से प्राप्त धनराशि को भी दृष्टिगत रखते हुये प्रीमियम का निर्धारण किया जायेगा।

(2) मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक संलग्न होनी चाहिए। प्रीमियम की शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर जमा करनी होगी।

7. आवंटन समिति

(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक निगम में एक आवंटन समिति गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें :–

(एक) नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त अध्यक्ष

(दो) निगम का मुख्य अभियन्ता सदस्य

(तीन) निगम में तैनात मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य

(चार) सम्बन्धित जोन का जोनल अधिकारी सदस्य
(यदि जोनल व्यवस्था लागू हो)

(पांच) विभागाध्यक्ष विज्ञापन अथव जिसे नगर आयुक्त द्वारा सदस्य–सचिव अधिकृत किया गया हो।

टिप्पणी : नगर आयुक्त, महापौर के परामर्श से एक या एक से अधिक सदस्य सहयोजित कर सकते है जैसा वह उचित समझें।

(2) समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीज्ञा करेंगी और तदानुसार अनुमोदित करेगी।

(3) नियम–26 की अधीन अनुज्ञा शुल्क सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान करेगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक, रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विज्ञापनकर्ता द्वारा निगम में अनुमोदित प्रीमियम की धनराशि तथा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किस्त की धनराशि एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा करने के पश्चात् ही उसे अनुज्ञा आदेश जारी किया जाएगा।

(6) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्ही कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा नही करता है और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिए जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

(7) विस्तृत सूचना, अनुदेश, और निबंधन एवं शर्ते अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जाएंगी।

(8) विज्ञापन (यथा–होर्डिंग, यूनीपोल, बस शैल्टर, गैन्ट्री इत्यादि) के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एवं विद्युत, टेलीफोन खम्भों, ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट पर विज्ञापन की नीलामी/निविदा, ई–निविदा के माध्यम से की जाएगी।

(9) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

महापौर
नगर निगम वाराणसी

(10) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग को छोड़कर जहॉ इसकी अनुज्ञा न हो) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान, विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्रीगार्ड या चाहरदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क उच्चतम प्रीमियम की निर्धारित धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

(11) नगर आयुक्त किसी क्षेत्र अथवा किसी विशेष विज्ञापन पटो को समिति के विचार विमर्श के पश्चात शासकीय/जनहित में निविदा प्रकिया से मुक्त कर सकते है।

(12) नगर निगम के विज्ञापन अथवा किसी चौराहा/पार्क के रख–रखाव के बदले पी0पी0पी0 तथा बी0ओ0टी0 प्रकिया के अन्तर्गत विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क/प्रीमियम में छूट प्रदान करने हेतु शर्तो के अधीन समिति निर्णय ले सकती है।

(13) बी0ओ0टी0 अथवा पी0पी0पी0 के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा न्यूनतम तीन वर्ष तथा अधिकतम सात वर्ष हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी विशेष परिस्थतियों में नगर आयुक्त समिति के परामर्श से समय सीमा बढ़ाये जाने पर निर्णय ले सकते है।

(14) आवंटन समिति नीलामी/निविदा के अतिरिक्त आवेदन पत्र के माध्यम से भी नगर निगम हित एवं शासकीय हित में विज्ञापन अनुज्ञा प्रदान करने के विषय में निर्णय ले सकती है।

(15) समिति द्वारा अनुमोदित स्थलों पर आवेदन के माध्यम से अनुज्ञा प्रदान किये जाने के पूर्व नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें। नियमानुसार ऑनलाईन से भी आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा सकते है। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के संबंध में नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम उपविधि के अनुसूची–2 में दर्शाये गये दरों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

**8. आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के आधार**

नियम–4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है, यदि कि :–

(क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरूप न हो।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने वाली प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पडोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) तम्बाकू, से निर्मित पदार्थ सिगरेट, मादक द्रव्य, मदिरा इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्व हो।

(ड) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या

सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(च) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(छ) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत हो।

(ज) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में धारा–172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

(झ) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझें।

नोट नियम–8 के बिन्दु संख्या– क से झ तक में उल्लिखित तथ्य आवेदन पत्र अस्वीकृत के आधार होगें।

**9. अनुज्ञा प्रदान करने की रीति**

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा :–

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा

(दो) निविदा आमंत्रित के द्वारा

(तीन) निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जा सकता है, किन्तु नई अनुज्ञा किसी भी दशा में बिना आवंटन समिति के परामर्श के नही दी जायेगी।

(चार) निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति पर इस उपविधि में दिये गये उपबंधों के अधीन दी जा सकती है।

(पांच) विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों पर अनुज्ञा और नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्रों को अधिकतम 30 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर विज्ञापनकर्ता को सूचित किया जाएगा। यदि नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुज्ञा प्रदान किया जाना है तो नीलामी/निविदा की तिथि से 30 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर नीलामी/निविदा में भाग लेने वाले विज्ञापनकर्ताओं को सूचित किया जायेगा।

(छः) विज्ञापन से सम्बन्धित निविदा की प्रक्रिया फरवरी माह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जायेगी।

**10. अनुज्ञा की अवधि**

(1) अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट है। वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गयी, इनमें जो भी पहले हो, होगी।

(2) विशेष परिस्थितियों में नगर निगम हित को दृष्टिगत रखते हुये धारा–7 में गठित आवंटन समिति द्वारा शर्तो के अधीन समय में वृद्वि किये जाने का प्रस्ताव नगर निगम की मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत कर सकता है।

**11. अनुज्ञा का नवीनीकरण**

नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं सम्पूर्ण विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करने के पश्चात् अनुज्ञा का नवीनीकरण नियम 6(3) के अधीन किया जा सकता है। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को अनुसूची–1 के रूप में संलग्न विहित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण होने के पश्चात् देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा।

महापौर

**12. विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाने की शक्ति**

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लघंन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो नगर निगम अथवा उक्त कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता या मिटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है :–

(क) इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(ख) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लघंन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(ग) उपविधि में उल्लिखित नियमों के विपरीत बिना अनुज्ञा के लगाये गये पोस्टर, पेंटिग अथवा विज्ञापन पट आदि से यदि नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति/राजकीय सम्पत्ति को क्षति पहुचाई जाती है, तो धारा–28 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत लागत वसूल किये जाने के साथ–साथ लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 तथा अन्य नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत वाद संस्थित कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत विज्ञापन प्रभारी के किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग/सड़क/फुटपाथ/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित किया जायेगा।

**13. विज्ञापन पर निर्बन्धन**

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नही किया जाएगा, प्रदर्शित नही किया जायेगा, संप्रदर्शित नही किया जायेगा, चिपकाया नही जायेगा, लिखा नही जायेगा, चित्रित नही किया जायेगा या लटकाया नही जायेगा, यदि,

(एक) यदि विज्ञापन पट आकार में 12.2 मीटर ग 6.2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो।

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से नापे गये 30 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो।

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले नागरिकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(चार) समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो।

(पांच) यह मार्ग के आर–पास एवं मार्ग पटरी/पगडंडी पर रखा गया

हो।

(छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो।

(सात) स्थल नियम–22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्व क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।

(आठ) जर्जर स्थिति में हो जिसके आंधी–पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नही दी जाएगी :

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिसमें कि यातायात के पहुँचने, या संविलीन होने, प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा व्यवधान उत्पन्न होता है।

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दांयी ओर के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो के पड़ने वाले मोड के 10 मीटर के भीतर एवं समस्त प्रमुख चौराहे के मध्य की दूरी के 30 मीटर के भीतर।

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुये यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी लाइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर।

(चार) ऐसे रूप में जिसमें लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतन या अन्य युक्ति के निर्वचन में विध्न व्यवधान उत्पन्न हो।

(पांच) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पट्टों, भित्त पत्रकों, वस्त्र–झण्डियां या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिए परिसंकटमय हो।

(छः) ऐसे रूप में जिसमें पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो।

(सात) जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हों।

(3) (एक) निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने अथवा वॉल राइटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सार्वजनिक भवनों, दिशा–सूचकों और महत्वपूर्ण सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन–पटों पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा।

(दो) सड़क पर कास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

(तीन) गैन्ट्री प्रतीक के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनो छोरों पर स्थान बोधक, दिशा सूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय, जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नही होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जाएगी कि सामान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सकें।

(चार) फ्लावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाए जा सकेगें। कैक्टस वाले फ्लावर पॉट अनुमन्य नही होंगे।

(पांच) सड़क के किनारे अथवा डिवाईडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके है एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट लगाकर विज्ञापन प्रदार्शित किया जाना निषिद्व होगा।

(छः) किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियॉस्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही

महापौर

कियॉस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होंगे।

(4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नही होगी।

(एक) ऐसी सधनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिसमें चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिससें चालान की किसी किया में विध्न पड़ता हो।

(दो) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतन का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

**14. छत के ऊपर के विज्ञापन पटों के सम्बन्ध में निर्बन्धन**

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक ही अनुमन्य है।

(2) नियम–6 और नियम–13 के अधीन रहते हुये किसी भवन की छत पर विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई अधिकतम 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नही होगी और चौडाई किसी भी दशा में भवन की क्षेतिज चौड़ाई से अधिक नही होगी।

**15. विज्ञापन पटों के प्रकार**

विज्ञापन निम्नलिखित प्रकार के होंगें :–

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन/वैद्युत, डिजिटल विज्ञापन
(ख) एल.ई.डी. स्कीन
(ग) भू–विज्ञापन (केवल यूनीपोल)
(घ) छत विज्ञापन
(ड.) बरामदा/दुकान विज्ञापन
(च) दीवार विज्ञापन
(छ) प्रक्षिप्त विज्ञापन
(ज) शामियाना विज्ञापन
(झ) आकाशीय विज्ञापन
(ञ) अस्थायी एवं विविध विज्ञापन
(ट) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन
(ठ) जन सुविधा स्थान पर विज्ञापन
(ड) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन
(ढ.) पताका/झण्डी विज्ञापन, द्वार विज्ञापन, गुब्बारा विज्ञापन
(ण) ट्री गार्ड/फ्लावर पॉट डिस्पले
(त) गैन्ट्री विज्ञापन
(थ) बिल्डिंग ग्लास, फसाड वॉलरैप, वाटर टैंक विज्ञापन
(द) फुट ओवर ब्रिज
(घ) प्रचार वाहन
(न) रैन बसेरा पर विज्ञापन
(प) पानी की टंकी पर विज्ञापन
(फ) विद्युत पोल पर क्योस्क
(ब) सांकेतिक पट

उपरोक्त के अतिरिक्त तकनीकी समिति नगर निगम की आय के दृष्टिगत किसी भी अन्य प्रकार के विज्ञापन की अनुमति दे सकती है।

**(क) वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन**

क–1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री :– जहॉ प्रतीक पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

क–2 वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञानों का स्थापन :
प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, भाग–8 भवन सेवायें धारा–2, विद्युत एवं समवर्गीय स्थापना के अनुसार स्थापित किया जाएगा।

| | | |
|---|---|---|
| | क–3 | लाल, तृणमणि जैया या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नही किया जाएगा। |
| | क–4 | दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो, पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से प्रदर्शित किये जाएंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट्ट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को संतोषजनक रूप से रोका जा सकें। |
| | क–5 | **गहन प्रदीप्ति** : कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नही करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुये भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर सम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा। |
| | क–6 | **परिचालन अवधि** : नगर आयुक्त की राय में जन सुख सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नही किया जायेगा। |
| | क–7 | **चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाली** : विज्ञापन पट्टिका जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जाएगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर ऊपर से कम न हो। |
| | क–8 | विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण **पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।** |
| (ख) भू–विज्ञापन | ख–1 | **सामग्री** : ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 6 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला प्रत्येक भू–विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। |
| | ख–2 | **आयाम** : कोई भी भू–विज्ञापन भूमि के ऊपर 6 मीटर से अधिक की ऊँचाई में परिनिर्मित नही किया जाएगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग के ऊपर जा सकता है। |
| | ख–3 | **अवलम्ब और स्थिरक स्थान** : प्रत्येक भू–विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होगें या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होगें। |
| | ख–4 | **स्थल सफाई** : किसी स्थल जिस पर कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृश्य हो, को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थो तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा। |
| | ख–5 | **यातायात में अवरोध** : ऐसा कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नही किया जाएगा जिससे कि किसी भवन के मुक्त प्रवेश में या |

उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

| | | |
|---|---|---|
| | ख–6 | **तल निर्बाधन** : सभी भू–विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम 2.5 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या पटल सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है। |
| | ख–7 | भू–चित्रित विज्ञापन, जहॉ लागू हो, नियम 16 की अपेक्षाओं के अनुरूप होगें। |
| (ग) छत विज्ञापन | ग–1 | **सामग्री** : नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढॉचे, अवलम्बों और पटिट्यों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पटिट्का को अज्जवलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जो के वैद्युत भू–आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहॉ ज्वलनशील सामग्रियां अक्षरों या अन्य साज–सज्जों में अनुज्ञात हो वहॉ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जाएगी। |
| | ग–2 | **अवस्थिति** : |
| | (क) | किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नही रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो। |
| | (ख) | कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नही रखा जाएगा तब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्जवलनशील सामग्री का न हो। |
| | ग–3 | **क्षेपण (प्रोजेक्शन)** : कोई क्षेपण विज्ञापन भवन की विद्यमान भवन लाईन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नही होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नही बढ़ेगा। |
| | ग–4 | **अवलम्ब और स्थिरक** : प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगे। |
| | ग–5 | विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना चाहियें। |
| | ग–7 | विकास प्राधिकरण/आवास विकास परि ाद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। |
| (घ) बरामदा विज्ञापन | घ–1 | सामग्री : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। |
| | घ–2 | आयाम : कोई बरामदा विज्ञापन 01 मीटर से अधिक ऊॅचा नही होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिलीमीटर से अधिक नही होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है। |
| | घ–3 | **संरेखण** : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन, लाइन, के समान्तर स्थापित किया जाऐगा, सिवाय इसके कि किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा। |
| | घ–4 | **स्थान** :– बरामदा पटि्टका को, जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जाएगा – |
| | (एक) | बरामदा छत की ओरी के ठीक ऊपर इस तरह से कि वह छत के गटर से पिछले भाग से वहिर्निष्ट न हो। |
| | (दो) | ब्रामदा मुंडेर या आलंब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे |

नही, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से.मी. से अधिक वहिर्निष्ट न हो।

(तीन) पेन्ट किए हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरामदा धरनों या मुडेरों पर।

घ–5 **लटकते हुए बरामदा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई :–** किसी बरामदें से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जाएगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊँचाई पर हो।

घ–6 **प्रक्षेपण :** घ–4 में यथा उपबन्धित के सिवाये कोई भी बरामदा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नही होगी।

**(ड.) दीवार विज्ञापन**

प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्ट 3 गुणें 3 मीटर को एक यूनिट मानते हुए बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के परिनिर्मित किया जायेगा।

(क) प्रतिबन्धित क्षेत्रों/सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों आदि की दीवारों पर विज्ञापन प्रतिषिद्व रहेगा।

(ख) नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य, व अन्य विशिष्टियों के दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध में मामले में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

**(च) प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाएं**

च–1 समग्री : प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवम्लब एवं चौखट पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

च–2 प्रक्षेपण एवं ऊँचाई : कोई भी प्रक्षेपण पटिट्का अपने अवलम्ब या चौखट की किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नही होगी, किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नही होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क के 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहॉ **अग्रभाग** के लिए वी–निर्माण किया गया हो, वहॉ भवन के सामने विज्ञापन.पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नही होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओर के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नही निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।

च–3 **अवलम्ब एवं संलग्नक :** प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स ऐंकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सकें कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियॉ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नही किया जायेगा।

च–4 **अतिरिक्त भार :** ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहें वह सेवाई युक्ति के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हों या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में

कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम के कम के लिए सक्षम नही होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय इस प्रकार निर्मित होगा कि अतिरिक्त भार को थाम सकें।

(छ:) शामियाना विज्ञापन पट्टिका

छ–1 **समग्री** : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थो से निर्मित होंगी।

छ–2 **ऊँचाई** : ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं 02 मीटर से ऊँची नही होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचें और न पगडंडी से ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होगी।

छ–3 **लम्बाई** : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नही होगी।

(ज) आकाश विज्ञापन पट्टिका

ज **आकाश विज्ञापन पट्टिका** : आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नही होगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या वाधा उत्पन्न न हो।

(झ) अस्थायी विज्ञापन पट्टिका

झ **अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं** : सचन सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं मेला विज्ञापन पट्टिकाएं एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

झ–1 **प्रकार** : झ–2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नही की जायेगी :–

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरामदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर–पास परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ड़) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के लाईसेन्स प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नही है।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और आकार में अधिमानतः 600 मिलीमीटर गुणे 450 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक के मामले में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो,

(ज) पेड़ों चट्टानों या पहाडियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

महापौर
नगर निगम वाराणसी

झ–2 **अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता :**

(एक) सार्वजनिक समारोहों के दौरान सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुँचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से सम्बन्धित होगा जो उस परिसर में या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात् जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने के आदेश यदि उसकी राय में सार्वजनिक सुविधा व सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) **पोल विज्ञापन पट्टिका :** पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतया अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती है, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापवन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

(पांच) **झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएं :** किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हो, सुदृढ़ रूप से बनी होंगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होंगी। जैसे ही वे फट जायें। या क्षतिग्रस्त हो जायें, उन्हें यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं को, 10 दिन की अवधि तक लटकायें जाने के लिए अनुमति प्राप्त हों।

(छः) **अधिकतम आकार :** अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्गमीटर से अधिक नही होगी।

(सात) **प्रक्षेपण :** कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नही बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्हं पट्टिकाएं बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या यामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नही बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) **विशेष अनुमति :** भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थाई झण्डियां जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर–पार बढ़ जायें, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।

(नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये बिल फलक को अस्थाई इश्तहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हो।

टिप्पणी : मनोरंजन और अन्य कार्यकमों में संबंधित इश्तहार को इश्तहार

महापौर
नगर निगम वाराणसी

फलक से भिन्न भवन की दीवारों पर नही लगाया जाएगा। ऐसे इश्तहारों और पोस्टरों के लिए उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरदायी माने जायेंगें।

**16. सभी विज्ञापन पटों / पट्टिकाओं के लिए सामान्य अपेक्षाऐं**

(1) **भार** : विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग–6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड–1, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भार बल और प्रभाव में दिये गये आंधी डेड से सिस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सकें।

(2) **प्रदीप्ति** : कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग–8 भवन सेवाएं खण्ड–2 विद्युत और सम्बद्व संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नही की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नही इस्तेमाल की जायेगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।

(3) **विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान** :

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिका से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास, या अग्नि शमन प्रायोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नही आयेगी।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नही होगी।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू–दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिए।

(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएं लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिए।

(ड) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएं स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(च) जहॉ विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागतन में बाधा पहुॅचें वहॉ विज्ञापन पट्टिका को लगाये जाने से बचना चाहियें।

(छ) विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार लगानी चाहिए सिसे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सकें।

(ज) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नही लगायी जायेगी।

(4) दहनशील पदार्थो का प्रयोग :

(एक) **सजावटी विशिष्टता** : ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहॉ अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकडी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकडी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(दो) **विज्ञापन पट्टिका का फलक** : विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नही होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नाली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेन्टीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) **विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण** : जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाये चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका, प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति विज्ञापनकर्ता से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचायी है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देना चाहिए अथवा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिए।

(6) **अनुज्ञा पत्र के ब्योरे का प्रदर्शन** : अनुज्ञा–पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की सम्पत्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसे नग्न नेक्षों से देखा व पढ़ा जा सकें।

**17. दुकानों पर विज्ञापन**

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नही किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण** :

(एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकान का नाम अथवा उसके बिना भी, फलक लटकाकर, पेंन्टिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाय, तो प्रत्येक दुकान के लिए केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नही माना जाएगा और वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय नही होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाय कि उसमें विकय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतन्त्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(तीन) नगर निगम सीमान्तर्गत सार्वजनिक मार्गो पर स्थित दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान अपनी दुकान/प्रतिष्ठान के ऊपर लगाये गये विज्ञापन पटों पर यदि दुकान के नाम के अतिरिक्त 75 प्रतिशत क्षेत्र में किसी वस्तु अथवा विकय की जानी वाली वस्तुऐं का विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है, तो ऐसे विज्ञापन पटों पर उक्त धारा के बिन्दु–01 में दिये गये प्राविधान लागू नही होगें। बल्कि नियमानुसार विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

**18. मार्गाधिकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन**

सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौंदर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापनों को मार्गाधिकार के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी –

(1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन –

(एक) अभिकल्प : विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर गुणे 1.2 मीटर से अधिक नही रखी जायेगी और विज्ञापन के निचले तल की भूतल से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नही रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नही होगा।

(2) **बस सायबानों पर विज्ञापन :–**

**अभिकल्प** : बस सायबानों (बस शेल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबान पर विज्ञापन पट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जायेगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नम्बर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता, जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय–समय पर कराना अनिवार्य होगा।

(3) **स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन :–**
नियम–13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुँचाने को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर ग 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते है। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेन्ट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) **यातायात रोटरी/सड़क** : नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथ के विकास व रख–रखाव की अनुज्ञा दे सकते है। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात/पुलिस बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नही किया जायेगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जायेगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में विहित दरों पर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क तथा आवंटन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) **मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियॉ** : नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रखरखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त को अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय–समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख–रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट का अधिकतम आकार 0.45 मीटर गुणे 0.75 मीटर होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मी0 होगी।

(6) **वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड)** : नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रखरखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद का संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकता है परन्तु 0.90 मीटर से कम चौड़े डिवाईडरों पर ट्री–गार्ड लगाये जाने की अनुमति नही होगी।

(7) **पुष्प पात्र स्टैण्ड (फ्लावर पॉट स्टैण्ड)** : नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प

के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 गुणे 0. 75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दोनो और संप्रदर्शित किये जा सकते है, परन्तु सड़क सतह से ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नही होना चाहिए।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनो ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी ओर पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जाएगा।

19. छूट

(1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नही होगी :–

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायें।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, संकेतन, यातयात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पैट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर गुणे 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पांच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय, किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अनय वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित यिका जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से संबंधित हो, परन्तु यह 0.90 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (2) से (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नही है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नही लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रख–रखाव के उत्तरादायित्व से निर्मुक्त है।

(2) **दीवार विज्ञापन पट्ट** : नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिये किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नही होगी।

(एक) **भण्डारण विज्ञापन पट्ट** : किसी प्रदर्शिन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नही होने चाहिए।

महापौर

(दो) **सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट** : किसी नगर पालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम प्रकृति या सूचना घोषित करते हो।

(तीन) **नाम पट्ट** : किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट जो भवन के अध्यासी के नाम कां इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(चार) ऐसे विज्ञापन पट्ट जो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर इंगित करते हो।

(3) अस्थाई विज्ञापन पट्ट ':

(एक) **निर्माण स्थल संकेत** : निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वस्तुविद के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

(दो) **विशेष संप्रदर्शिन संकेत** : अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शिन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरादायी नही हो। (नियम–15झ(2) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता' देखिए)

**20. विशेष विज्ञापन**

(1) यदि धारा–22 में घोषित निषिद्ध क्षेत्र तथा धारा–27(1) में निर्धारित निषिद्ध क्षेत्र में धार्मिक विज्ञापन को छोड़कर अन्य कोई विज्ञापन अनुज्ञा अल्प अवधि (एक माह तक) के लिये दिया जाना है, तो ऐसी स्थिति में नगर आयुक्त विशेष परिस्थितियों में अ श्रेणी हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क (अनुसूची–2 के अनुसार) के दोगुना धनराशि पर शर्तो के अधीन प्रदान कर सकते है, परन्तु उक्त धारा में प्रदान की गयी अनुज्ञा समाप्त होने के 24 घण्टें के भीतर विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी को विज्ञापन स्वयं हटाना अनिवार्य होगा।

(2) प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(3) धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग अथवा अन्य सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम में राजनैतिक न हो, को नगर आयुक्त विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क अथवा किसी भी न्यूनतम धनराशि पर पूर्ण अस्थाई प्रकृति के विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है, परन्तु उक्त विज्ञापन की अनुज्ञा किसी भी दशा में 15 दिवस से अधिक की नही होगी। आयोजक अथवा विज्ञापनकर्ता को अनुमति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र में विज्ञापन पट की साईज, स्थान तथा संख्या का उल्लेख स्पष्ट रूप से विज्ञापन अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत करना होगा।

(4) धारा–20(4) नियम 3 के अधीन प्रदान की गयी अनुज्ञा पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की होगी, यदि उक्त के अन्तर्गत प्रदान की गयी अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के 24 घण्टों के भीतर आयोजक/विज्ञापनकर्ता द्वारा स्वयं सम्बन्धित विज्ञापन सामग्री नही हटायी जाती है, तो विज्ञापन पटों पर माप के अनुसार ''अ'' श्रेणी हेतु निर्धारित दर की दोगुना धनराशि दिवस के अनुसार अनुज्ञा शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।

**21. विशेष नियंत्रण क्षेत्र**

(1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुमति विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष

नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। सार्वजनिक उपयोग के पार्को और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्व किया जायेगा या किसी प्रकार से जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाय सीमित किया जायेगा। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करें, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरूद्व ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त की अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) किसी बरामदा/दुकान विज्ञापन की शब्दावल, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम, जो उस परिसर के अध्यायी हो, तक सीमित होगी। भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम यथा '' ज्वैलर्स'' 'कैफे' ''डांसिग'' या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किस भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नही होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) के अधीन दी गयी अनुज्ञा के सिवाय समान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नही प्रदर्शित होगा।

**22. निषिद्व क्षेत्र की घोषणा**

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निषिद्व घोषित करें। इस प्रकार के आदेश के विरूद्व घोषणा की तिथि से एक माह के भीतर अपील आयुक्त, वाराणसी मण्डल के समक्ष की जा सकती है।

**23. झण्डियों पर रोक**

(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटाने की किया नही करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्व क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नही की जायेगी।

(3) इस उपविधि का उल्लघंन कोई भी व्यक्ति ऐसा शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाय और वह प्रति झण्डी दो सौ रूपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपह्व या विनष्ट कर सकता है।

**24. अनुरक्षण और निरीक्षण**

(1) **अनुरक्षण** : सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, उन्हें अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेगे, जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनो ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नही होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिए रंग–रोगन समय–समय पर किया

महापौर

जायेगा।

(2) **सुव्यवस्था** ': प्रत्येक विज्ञापन, के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरादायित्व होगा कि वह विज्ञापन हेतु छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता, आवश्यक मरम्मत और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) **निरीक्षण** : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिए कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचाग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

**25. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति**

नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जांच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि द्वारा तद्धीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु –

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय, अन्य किसी समय, अध्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अध्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नही किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो तो, हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन) जहॉ तक ऐसे प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक, ध्यान दिया जायेगा।

**26. भुगतान की रीति**

(1) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क एकल किश्त में अथवा दो समान किस्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्शित नही किया जायेगा। प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृति के समय जो पूर्व हो, तथा दूसरी किस्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।

(2) यदि कोई विज्ञापन छः माह से कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता है तो अनुज्ञा शुल्क अनुसूची–2 में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगी।

(3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि किसी विज्ञापन को तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता है तो अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुसूची–2 में अंकित दरों पर मासिक आधार पर एक किश्त में देय होगी।

**27. क्षेत्रों का वर्गीकरण**

विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्व क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गो में किया जायेगा –

(एक) निषिद्व क्षेणी क्षेत्र
(दो) 'अ' श्रेणी क्षेत्र
(तीन) 'ब' श्रेणी क्षेत्र
(चार) 'स' श्रेणी क्षेत्र

(एक) निजी भूमि भवन एवं सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के सामान्य विज्ञापन (एल0ई0डी0, ग्लोसाईन बोर्ड एवं डिजिटल विज्ञापनो को छोड़कर) प्रचार हेतु निषिद्व क्षेत्र :

महापौर
नगर निगम वाराणसी

- सर्किट हॉउस से मण्डलायुक्त कार्यालय तक।
- सर्किट हॉउस से मण्डलायुक्त होते हुये अम्बेडकर पार्क तक तथा सर्किट हॉउस से नगर आयुक्त आवास तक।
- गोदौलिया चौराहा से दशाश्वमेघ एवं राजेन्द्र प्रसाद घाट तक।
- गोदौलिया चौराहा से बाबा काशी विश्वनाथ मन्दिर गेट नम्बर–4 तक।
- बाबा काशी विश्वनाथ मन्दिर के 100 मी0 परिधि में सभी प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध रहेगा
- काल भैरव मन्दिर के 100 मी0 परिधि में में सभी प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध रहेगा

(दो) **'अ' श्रेणी क्षेत्र :**

- कैण्ट कृष्णा धर्मशाला इंग्लिसियालाइन से साजन तिराहा होते हुए सिगरा चौराहा रथयात्रा चौराहा तक।
- साजन तिराहा से आई0पी0 मॉल होते हुए फातमान रोड मलदहिया चौराहा होते हुए तेलियाबाग मरी माई मन्दिर तक।
- मलदहिया चौराहा से लहुराबीर चौराहा, कबीर चौरा होते हुए मैदागिन चौराहा तक।
- रथयात्रा चौराहा से गुरूबाग लक्सा होते हुए गोदौलिया चौराहा तक।
- गोदौलिया चौराहा से जंगमबाड़ी सोनारपुरा अस्सी होते हुए लंका बी0एच0यू0 गेट तक।
- बी0एच0यू0 गेट से ट्रामा सेन्टर होते हुए सामने घाट पुल तक।
- चौंक बॉसफाटक से मैदागिन चौराहा होते हुए विशेश्वरगंज तक।
- अन्धारापुल मरी माई मन्दिर से आनन्द मन्दिर होते हुए जगतगंज लहुराबीर चौराहा तक
- अन्धारापुल से ताज होटल होते हुए वरूणापुल तक।
- रविदास गेट से संकट मोचन मन्दिर कबीर नगर दुर्गाकुण्ड मन्दिर होते हुए गुरूधाम चौराहा से आई0पी0 विजया मॉल तक।
- रथयात्रा चौराहा से महमूरगंज आकाशवाणी हुए मण्डुवाडीह चौराहा तक।
- संत अतुलानन्द स्कूल से गिलट बाजार होते हुए भोजूबीर तिराहा तक।
- संत अतुलानन्द स्कूल से बाईपास होते हुए तरना नगर निगम सीमा तक।
- रथयात्रा चौराहा से कमच्छा होते हुए भेलूपुर आई0पी0 विजया मॉल तक।
- आई0पी0 विजया से किनाराम स्थल रविन्द्रपुरी होते हुए अस्सी मोड़ तक।
- लंका बी0एच0यू0 गेट से सुन्दपुर होते हुए भिखारीपुर तिराहा तक।
- भिखारीपुर तिराहा से ककरमत्ता फ्लाईओवरर होते हुए मण्डुवाडीह चौराहा तक।

महापौर
नगर निगम वाराणसी

(तीन) **'ब' श्रेणी क्षेत्र :**

- कचहरी पुलिस लाईन चौराहा से मकबूल आलम रोड होते हुए चौकाघाट गाटरपुल तक।
- अन्धारापुल से चौकाघाट पानी टंकी, गोलगड्डा चौराहा होते हुए राजघाट नमो घाट तक।
- सिगरा चौराहा से महमूरगंज आकाशवाणी तक।
- मण्डुवाडीह चौराहा से लहरतारा चौराहा तक।
- भिखारीपुर तिराहा से चितईपुर चौराहा होते हुए अवलेशपुर चौराहा तक।
- रामनगर किला से रामनगर चौराहा होते हुए टेंगरा मोड़ रोड़ नगर निगम सीमा तक।
- लहरतारा चौराहा से फुलवरियाँ फ्लाईओवर होते हुए सेन्ट्रल जेल तिराहा तक।
- भोजूबीर चौराहा से बसहीं होते हुए चाँदमारी रिंग रोड तक।
- पाण्डेयपुर चौराहा से पहड़िया होते हुए सारनाथ आशापुर फ्लाईओवर होते हुए सन्दहा रिंग रोड़ तक।
- पाण्डेयपुर चौराहा से बाबन बीगहा रिंग रोड तक

(चार) **'स' श्रेणी क्षेत्र :**

- अ श्रेणी तथा ब श्रेणी में जो क्षेत्र उल्लिखित है, उनके अतिरिक्त वाराणसी नगर निगम की सीमा में आने वाले समस्त क्षेत्र।

**28. हटाये जाने की लागत एवं जुर्माना**

नियम 12 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाये या साफ किये जाने की लागत निम्नवत होगी–

| | | |
|---|---|---|
| (क)(1) | 20 वर्गफिट या उससे कम के प्रति विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट (यूनीपोल को छोड़कर) के हटाने की लागत – | रू. 250/– |
| (2) | 21 से 60 वर्गफिट तक के प्रति विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट (यूनीपोल को छोड़कर) के हटाने की लागत – | रू. 500/– |
| (3) | 61 से 200 वर्गफिट तक के प्रति विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट (यूनीपोल को छोड़कर) के हटाने की लागत – | रू. 3000/– |
| (4) | 201 से 500 वर्गफिट तक के प्रति विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट (यूनीपोल को छोड़कर) के हटाने की लागत – | रू. 5000/– |
| (ख) | ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से बडे प्रति विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट (यूनीपोल को छोड़कर) को हटाने की लागत – | रू. 10000/– |
| (ग) (1) | निजी भवन पर (छत के ऊपर) 200 वर्गफिट से कम क्षेत्रफल के विज्ञापन अथवा सम्पूर्ण विज्ञापन पट को हटाने की लागत | रू. 10000/– प्रति विज्ञापन पट |
| (2) | निजी भवन पर (छत के ऊपर) 201 वर्गफिट से अधिक क्षेत्रफल के विज्ञापन अथवा सम्पूर्ण विज्ञापन पट को हटाने की लागत | रू. 25000/– प्रति विज्ञापन पट |
| (घ) | किसी सार्वजानिक अथवा निजी दीवारो पर लगाये गये पोस्टर आदि साफ करने की लागात | रू. 10/– प्रति |

(ड) किसी सार्वजनिक अथवा निजी दीवारों पर की गयी पेंन्टिग के माध्यम से किये गये प्रचार को साफ करने लागत — वर्गफिट रू. 50/– प्रति

(च) सार्वजनिक अथवा निजी भूमि पर सिंगल पोल पर स्थापित यूनिपोल आदि को हटाने की लागत — वर्गफिट रू. 15000/– प्रति पोल

(छ) सार्वजनिक अथवा निजी भूमि पर स्थापित गैलेन्ड्री आदि को हटाने की लागत 40000/–

(ज) नगर निगम सीमा में बिना अनुज्ञा के चलने वाले प्रचार वाहनों को पकड़े जाने पर लगाये गये विज्ञापन पटों के क्षेत्रफल के अनुसार अनुसूची–2 में उल्लिखित विज्ञापन शुल्क के साथ–साथ निम्न धनराशि जुर्माने के रूप में वसूल की जायेगी।

(1) हल्का वाहन अंकन 10000/– रू0

(2) भारी वाहन अंकन 20000/– रू0

(झ) बिना अनुज्ञा के लगाये गये विज्ञापन पट्टों को हटाये जाने की लागत के अतिरिक्त न्यूनतम 06 माह के विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क अनुसूची–2 में उल्लिखित धनराशि के अतिरिक्त जुर्माने की न्यूनतम धनराशि निम्नवत होगी।

1.यूनिपोल– 25000/–

2.गैलेन्ड्री– 50000/–

3.प्राईवेट भूमि/भवन पर स्थापित होर्डिंग 40000/–

(ञ) उक्त नियम में उल्लिखित जुर्माने की नियत धनराशि में आवेदन प्राप्त होने पर विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान कर सकते है।

**29. अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन**

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लघंन ऐसे जुर्माने से जो रू0 10000/– (दस हजार रूपये) तक हो सकता है और उल्लघंन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लघंन की दोषसिद्वि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लघंन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो रू0 500/– (पांच सौ रूपये) प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

महापौर
नगर निगम वाराणसी

प्रपत्र सं.....
मूल्य रू0 500/–

अनुसूची–1
(नियम 6(1) देखें)
विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन–पत्र

आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम.....

विज्ञापनकर्ता का पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र

1. अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम.....
.....
पता.....
.....
2. आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट का प्रकार.....
3. विज्ञापन या विज्ञापन पट का आकार (लम्बाई ग चौड़ाई मीटर में).....
4. स्थल नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति.....
5. भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या निवासी का नाम .....
.....
6. क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है ? .....
.....
7. (एक) यदि निजी स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण–पत्र के साथ भू/भवन स्वामी की लिखित अनुमति, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
(दो) भू/भवन स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र, कि विज्ञापनकर्ता की चूक की दशा में वह देय अनुज्ञा शुल्क के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।
(तीन) नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता (Structure Engineer) द्वारा दिया गया भवन के भार वहन क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट।
8. (एक) अनुसूची–2 के अनुसार वार्षिक अनुज्ञा शुल्क.....
(दो) किश्त की धनराशि.....
9. देय प्रीमियम/नवीनीकरण अनुज्ञा शुल्क.....
10. कोई अन्य विवरण .....

संलग्नक :

आवेदक के हस्ताक्षर
दूरभाष नं0
मोबाईल नं0

दिनांक :

महापौर
नगर निगम वाराणसी

अनुसूची–2

(नियम 26 देखें)

**विज्ञापन और विज्ञापन पट पर अनुज्ञा शुल्क की दरें।**

1. नगर निगम सीमान्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर जिनके विज्ञापन का प्रबन्धन नगर निगम द्वारा किया जाता के भूमि, दीवार और भवन तथा सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए –

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | "अ" श्रेणी क्षेत्र | : | रू. 400/– (चार सौ रूपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष |
| (2) | "ब" श्रेणी क्षेत्र | : | रू. 350/– (तीन सौं पचास रूपया) प्रति वर्गफीट् प्रतिवर्ष |
| (3) | "स" श्रेणी क्षेत्र | : | रू. 300/– (तीन सौ रूपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष |

2. एकस्तम्भ (यूनीपोल) पर विज्ञापन पट –

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | "अ" श्रेणी क्षेत्र | : | रू. 450/– (चार सौं पचास रूपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष |
| (2) | "ब" श्रेणी क्षेत्र | : | रू. 400/– (चार सौं रूपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष |
| (3) | "स" श्रेणी क्षेत्र | : | रू. 350/– (तीन सौं पचास रूपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष |

3. साईड पोल/ट्री–गॉर्ड/फ्लॉवर पॉट/जन सुविधा पर विज्ञापन पट –

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | "अ" श्रेणी क्षेत्र | : | रू. 500/– (पाँच सौं रूपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष |
| (2) | "ब" श्रेणी क्षेत्र | : | रू. 450/– (चार सौं पचास रूपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष |
| (3) | "स" श्रेणी क्षेत्र | : | रू. 400/– (चार सौं पचास रूपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष |

4. सेन्टर विद्युत पोल/बस शेल्टर/पुलिस बूथ/ट्रैफिक आईलैण्ड/कैन्ट्रीलीवर पोल (ट्रैफिक सिग्नल/गैन्ट्री : –

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | "अ" श्रेणी क्षेत्र | : | रू. 600/– (छःसौं रूपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष |
| (2) | "ब" श्रेणी क्षेत्र | : | रू. 550/– (पाँच सौं पचास रूपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष |
| (3) | "स" श्रेणी क्षेत्र | : | रू. 500/– (पाँच सौं रूपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष |

5. (1) एल.ई.डी. स्क्रीन (चलचित्र विज्ञापन) के माध्यम से संचालित विज्ञापन हेतु अंकन 1500 रू0 प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(2) ट्यूबलाइट, एल.ई.डी. लाईट, बल्ब व अन्य माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट हेतु उपरोक्त कम संख्या–1 से 4 तक निर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(3) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त कम संख्या–1 से 2 की निर्दिष्ट दरों का 150 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(4) निजी भूमि/भवनों पर ट्यूबलाइट, एल.ई.डी. लाईट, सोडियम लाईट, बल्ब व अन्य माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त कम संख्या–1 से 2 की निर्दिष्ट दरों के समान अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

6. (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (एक) | हल्का वाहन | : | रू. 25,000/– (पच्चीस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन |
| (दो) | भारी वाहन | : | रू. 50,000/– (पचास हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन |

(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर –

| | | | |
|---|---|---|---|
| (एक) | तीन पहिया | : | रू. 300/– (रूपया तीन सौ) प्रति दिन |
| (दो) | चार पहिया | : | रू. 1000/– (रूपया एक हजार) प्रति दिन |
| (तीन) | छः पहिया | : | रू. 2000/– (रूपया दो हजार) प्रति दिन |

नोट : यदि वाहनों पर डिजिटल/इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से प्रदर्शन किया जाता है, तो उपरोक्त दरें 100 प्रतिशत वृद्वि के साथ देय होगा।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | पर्चा (हैण्ड बिल) | : | रू. 2000/– (रूपया दो हजार) प्रति हजार |
| 2. | पताक (बैनर) | : | रू. 300/– (रूपया तीन सौ) प्रति बैनर |
| 3. | गुब्बारे | : | रू. 1000/– (रूपया एक हजार) प्रतिदिन |

महापौर

4. छतरी (कैनोपी) : रू. 500/– (रूपया पांच सौ) प्रतिदिन
5. ऑटों रिक्शा थ्री–व्हीलर : रू. 5000/– (रूपया पाँच हजार) प्रतिवर्ष
6. बसों पर : रू. 15000/– (रूपया पन्द्रह हजार) प्रतिवर्ष
7. दीवारों पर वॉल राइटिंग – अनुज्ञा शुल्क की दर मद संख्या–1 के अनुसार
8. रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में अनुसूची–2 में अंकित अनुज्ञा शुल्क की दरों के कमांक–1 के अनुसार 100 प्रतिशत देय होगा।
9. उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 3 माह का अनुज्ञा शुल्क मद संख्या–1 के अनुसार लिया जायेगा।
10. ध्वनि विस्तारक यंत्र : रू. 300/– प्रति बाक्स/स्पीकर प्रति दिन
11. जिन मदों का उल्लेख ऊपर नही किया गया है उनका अनुज्ञा शुल्क कमांक–1 के अनुसार देय होगा।
12. निजी भूमि/भवन पर स्ट्रक्चर स्थापित किये जाने से पूर्व भवन की एवं स्ट्रक्चर की मजबूती/सुदृढ़ीकरण तथा गुणवत्ता का प्रमाण पत्र विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा अधिकृत आरकीटेक्क/स्ट्रक्चरल इंजीनियर से उपलब्ध कराना होगा। उक्त के अतिरिक्त विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी के मध्य किराया नामा का अनुबन्ध पत्र एवं भवन की मजबूती आदि से सम्बन्धित शपथ पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं मौके की स्थिति में किसी संशय की स्थिति में विज्ञापन विभाग नगर निगम अभियंत्रण विभाग से भी परीक्षण करा सकता है।
13. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह उपविधि प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्वि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।
14. नगर निगम सम्पत्ति/संसाधनों/विद्युत पोलों अथवा नगर निगम के प्रबन्धाधीन सम्पत्तियों जिन पर विज्ञापन पट्ट स्ट्रक्चर सहित स्थापित कर विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने की दशा में विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की आगणित धनराशि का 50 न्यूनतम प्रतिशत वार्षिक किराया/प्रीमियम देय होगा। वार्षिक किराया/प्रीमियम हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत को नियम 07 में गठित समित द्वारा नगर निगम हित में नियम 9 के अन्तर्गत अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।
15. नगर निगम, वाराणसी के स्वामित्वाधीन स्थापित एक स्तम्भ यूनिपोल, यात्री प्रतीक्षालय अथवा किसी अन्य विज्ञापन स्ट्रक्चर को किराये पर उठाये जाने हेतु विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की आगणित धनराशि का 100 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक किराया/प्रीमियम देय होगा। वार्षिक किराया/प्रीमियम हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत को नियम 07 में गठित समित द्वारा नगर निगम हित में नियम 9 के अन्तर्गत अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।
16. अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से देय होगी।

**स्पष्टीकरण :–**

1. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 03 माह से कम अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकते है कि अनुज्ञा शुल्क मासिक आधार पर आंगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जाऐगी।
2. अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगें।
3. उपविधि में जिन बिन्दुओं का उल्लेख नही है अथवा विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क के विषय में यदि कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उक्त स्थिति में उपविधि की धारा–7 में गठित आवंटन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, वाराणसी।

महापौर
नगर निगम वाराणसी